सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

माननीय श्री. एस. एम. कृष्णा

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

---

१४ मार्च २००५

माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

१. राज्य विधान मंडल के इस वर्ष के प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद सम्भालने के बाद, मेरा भी यह पहला सत्र है। मैं, महाराष्ट्र की जनता को अपनी शुभकानायें देता हूँ।

२. मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि नई सरकार ने, महाराष्ट्र की जनता से किये गये अपने वादों को पूरा करने के लिये, पूरी लगन से कार्य करना शुरू कर दिया है। सरकार, आम जनता की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देने और विकास की आगामी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास कर रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले पाँच वर्षों में महाराष्ट्र ने, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में ७.१ प्रतिशत की अभूतपूर्व वृध्दि की है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में, विकास दरों में और अधिक वृध्दि की जायेगी।

३. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री. पी. वी. नरसिंहराव के दु:खद निधन से राष्ट्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। उन्होंने लोकसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। मैं उन्हें, श्रध्दांजलि अर्पित करता हूँ।

४. २६ दिसम्बर २००४ को दक्षिणी राज्यों में सूनामी लहरों द्वारा ढ़ाया गया कहर एक राष्ट्रीय विपदा थी। इससे भारत और पडोसी देशों में बहुत ज्यादा जन-धन की हानि हुई है। आइए, हम सब, इस महाविपदा में काल के ग्रास बने लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करें। यह बडे गर्व की बात है कि सूनामी कहर से जीवित बचे लोगों की सहायता के लिये पूरा देश एकजुट हो गया है। हमेशा की तरह, इस सहायता कार्य में महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे था। हमने, सूनामी प्रभावित राज्यों में तत्काल, बडी मात्रा में राहत सामग्री भेजी थी। सूनामी लहरों से बुरी तरह प्रभावित अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में बडी संख्या में राहत कार्यकर्ता भेजे गए थे।

५. मेरी सरकार ने, सभी सूनामी प्रभावित राज्यों को शीघ्र समुत्थान और पुनर्वास के लिए अपनी सेवाएँ ही प्रदान नहीं की बल्कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्निर्माण का बृहत् उत्तरदायित्व भी स्वीकार करने का निश्चय किया है।

६. हम, देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए वचनबध्द हैं, इससे राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी और मुम्बई वासियों का जीवन-स्तर बेहतर होगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि भारत सरकार ने इस जरूरत को महसूस किया और प्रमुख मूलभूत सुविधा प्रोजेक्टों के विकास के लिए प्रतिपादित किये गये ३६,६०० करोड़ रुपयों का सन् २००५-२००६ के केन्द्रीय बजट में विशेष उल्लेख भी किया है। ऐसा अनुमान है कि मुम्बई शहरी मूलभूत सुविधा प्रोजेक्ट और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से, महत्त्वपूर्ण मुख्य मार्गों का स्तर सुधरेगा, पूर्व से पश्चिम क्षेत्रों को जोडने के मार्ग बढेंगे और लोकल ट्रेनों की भीड-भाड कम होगी। शिवड़ी को न्हावा से जोडनेवाला ट्रान्स हार्बर लिंक मुम्बई की भौगोलिक संरचना का पुनःसीमांकन करेगा और उसके आर्थिक विकास का फल राज्य के भीतरी प्रदेशों को भी मिलेगा।

७. मुम्बई में, जल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने, मध्य वैतरणा प्रोजेक्ट और मुम्बई मलजल निपटान प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक से जो सहायता मांगी है, मेरी सरकार ने उसकी सिफारिश की है।

८. पिछले तीन वर्षों से, लगभग ९ प्रतिशत औद्योगिक विकास दर के साथ हमारा राज्य देश का प्रमुख औद्योगिक राज्य बना हुआ है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का अंशदान १३ प्रतिशत है, और वह, देश के निर्यात में ३१ प्रतिशत, निगम कर में ४३ प्रतिशत और आयकर में ३६ प्रतिशत अंशदान करता है। पिछले वर्ष, राज्य की निर्यात विकास दर ६३ प्रतिशत थी जो ठीक पूर्ववर्ती वर्षों से ज्यादा है।

९. पूरे विश्व में, निवेशकों के लिए महाराष्ट्र सबसे पसन्दीदा राज्य माना जाता है। प्रगतिशील नीति लागू करने के लोकशाही आघाडी सरकार की पहल, जिम्मेदार प्रशासन, उत्कृष्ट मूलभूत सुविधा और अनुकूल औद्योगिक वातावरण के साथ यह, विश्व उद्यमों और निवेश में लगातार सबसे आगे

रहा है। स्वीट्जरलैंड की अन्तरराष्ट्रीय प्रबंध विकास संस्था की विश्व प्रतियोगिताक्षम रिपोर्ट २००४ में संपूर्ण वैश्विक क्रमविन्यास में राज्य को ३८ वाँ क्रम दिया गया है जो कि फ्रान्स और दक्षिण कोरिया जैसे राष्ट्रों के बराबर है और ब्राजिल, रशिया, इटली और फिलिपिन्स से कहीं ऊपर है।

१०. राज्य को, सर्वाधिक औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले वर्ष, अक्तूबर तक, २,६५,४११ करोड़ रूपये के निवेश के लगभग २० लाख बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की संभावनावाले ११,९६७ औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, राज्य को, ४१,००० लोगों को रोजगार देने की क्षमतावाले लगभग ५,६९६ करोड़ रूपये के निवेश के ३८९ औद्योगिक निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। अब तक हमें, ५२,०९२ करोड़ रूपये निवेश वाले ३,६५५ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमोदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें चालू वर्ष के १४७ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अनुमोदन सम्मिलित हैं।

११. हालही में, राज्य सरकार ने ५०० करोड़ रूपयों का निर्यात अभिमुख एकीकृत वस्त्रोद्योग प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए, मेसर्स करेरा होल्डिंग्स इन्कॉर्पोरेटेड़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इसमें, सोलापुर में चिंचोली, कोल्हापुर में कागल और नवी मुंबई में विश्व-स्तरीय सुविधाएँ स्थापित करना शामिल होगा। इससे न केवल स्थानीय बेरोजगारों को पर्याप्त रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि, इससे घरेलू कपडा उद्योग में कौशल और स्त्रोतों के विकास और विश्वस्तरीय प्रौद्योगिक के सम्पादन में भी पर्याप्त मदद मिलेगी।

१२. आप सब जानते ही हैं कि बिजली के संकट के कारण पूरे राज्य में लोड़ शेडींग करना पड़ रहा है। राज्य की जनता ने इस गंभीर समस्या का सामना करने में जो सहयोग दिया है वह सराहनीय है। राज्य के ३७४ गाँवों ने स्वेच्छया शाम के समय कृषि पंपों का उपयोग बंद कर दिया है। अब ये गाँव 'अक्षय प्रकाश' योजना के तहत् इस लोड़ शेडींग की समस्या से मुक्त हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए और भी गाँव आगे आयेंगे।

१३. मेरी सरकार ने, राज्य में कृषि पंपों के लिए स्वतंत्र फीड़र बैठाने और इस प्रकार बिजली की कमी को दूर करने का निश्चय किया है। इसी के साथ, 'सिंगल फेजिंग' योजना लागू करने के लिए, मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य

विद्युत बोर्ड को आवश्यक निधि मुहैया कराने का भी निश्चय किया है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी घरेलू साथ ही साथ कृषि क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए विशेष योजना भी हाथ में लेगी।

१४. मेरी सरकार ने, अगले पाँच वर्षों में, विद्यमान बिजली संकट को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। तद्नुसार, राज्य विद्युत बोर्ड और निजी निवेशकों के जरिए अगले पाँच वर्षों में ५,००० मेगा वॉट अतिरिक्त विद्युत क्षमता निर्मित करने की योजना है। मेरी सरकार ने, विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने की नीति को भी अंतिम रूप दे दिया है। इसीके साथ, मेरी सरकार, २५० मेगा वॉट क्षमता वाले विद्युत प्रोजेक्ट परली और पारस में कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, उरण (१,०६० मेगा वॉट) और खापरखेडा (५०० मेगा वॉट) विद्युत प्रोजेक्ट के विस्तार और तलेगांव में १,४०० मेगा वॉट का विद्युत प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये नवीन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

१५. मेरी सरकार ने, राज्य के लोगों को कार्यक्षम सेवा प्रदान करने के लिये विद्युत अधिनियम, २००३ के उपबंधों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की पुनर्रचना करने का भी निश्चय किया है और इस बारे में ठोस उपाय किये जा रहे हैं।

१६. मेरी सरकार, जल उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के संरक्षण और उनके लिए समान जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए जलस्रोत नियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

१७. सिंचाई प्रोजेक्ट के किसी भी कमान क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को समान जल वितरण सुनिश्चिंत कराने के लिये राज्य, शीघ्र ही एक समुचित विधान बनायेगा।

१८. किसानों के सक्रिय सहयोग से और सिंचाई क्षेत्र में शुरू किये गये नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप, सन् २००३-०४ में, लगातार दूसरे वर्ष लगभग ३७८ करोड़ रूपये का रिकार्ड जल प्रभार संग्रहित किया गया। इस संग्रहण से, ऐसे सिंचाई प्रोजेक्टों के संचलन, रखरखाव और मरम्मतों पर होनेवाले संपूर्ण खर्च को पूरा किया जा सका है।

१९. सन् २००३-०४ में जल स्रोत विभाग ने लगभग ५०,००० हेक्टर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की है। ऐसा अनुमान है कि चालू वर्ष में लगभग २ लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई की जाएगी।

२०. मई २००२ में शुरू किया गया **महात्मा फुले जल भूमि संधारण अभियान** जल संरक्षण में लोगों का सहयोग पाने में पूरी तरह सफल रहा है। अब तक, २,५८३ परिस्रवण टंकियों की मरम्मत और पुन:स्थापना, २४,३९८ टंकियों की गाद की सफाई, ७२,८२२ कुओं का पुनर्भरण और लगभग ९९,००० वनराई बंधारों का संनिर्माण कार्य किया गया है। इन निर्माण कार्यों से, जिनके लिए लगभग ३४० करोड़ रूपये का सार्वजनिक श्रमदान प्राप्त हुआ है, राज्य में पानी की कमी की समस्या काफी हद तक सुलझी है। मेरी सरकार, जल संरक्षण को लोगों की मुहिम बनाने के लिए कृत संकल्प है।

२१. सरकार ने, पेयजल गुणवत्ता का मॉनिटर और निगरानी करने के लिए एक राज्य कृत्यक बल की स्थापना की है। दक्षिण एशिया के जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की सहायता से पेयजल गुणवत्ता का मॉनिटर करने के लिए अहमदनगर, रायगड़ और यवतमाल जिलों में पायलट प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है।

२२. सरकार ने, राज्य के सभी जिलों में पेयजल गुणवत्ता की जांच के लिए दस प्रतिशत नमूना सर्वेक्षण किया है। ६ जिलों में, जिनमें बड़ी संख्या में रासायनिक संदूषण युक्त जल स्रोत हैं, संपूर्ण जल नमूना सर्वेक्षण किया जा रहा है। अन्य जिलों में भी इस तरह का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।

२३. मेरी सरकार ने, राज्य में स्वामित्व आधार पर फ्लैटों के सन्निर्माण, विक्रय और हस्तान्तरण के मामले में होने वाले अनाचार को रोकने और स्वामित्व फ्लैटों के सन्निर्माण को बढ़ावा देने में आनेवाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट (सन्निर्माण को बढ़ावा देने, विक्रय, प्रबंध और हस्तान्तरण का विनियमन) अधिनियम, १९६३ को स्थायी बनाने का निश्चय किया है।

२४. मेरी सरकार, समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले जनजातियों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए ठोस उपाय कर रही है। राज्य के १५ जनजाति जिलों को शामिल करने के लिए मेरी सरकार ने, एक व्यापक नवसंजीवन योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें, ग्रामवार रोजगार कार्यक्रम, असंबध्द जनजाति गाँवों और पाडाओं को सड़कों से

जोड़ना और अगम्य जनजाति क्षेत्रों में क्षेत्र मानकों के आधार पर स्वास्थ्य संस्थायें स्थापित करना शामिल है। राज्य सरकार द्वारा जनजाति और अन्य क्षेत्रों की मूलभूत सुविधा का स्तर सुधारने का भी प्रयास किया जा रहा है।

२५. जनजाति आश्रम शालाओं के शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए, सरकार ने, २९९ आश्रम शालाओं में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं और छात्रों और शिक्षकों को महाराष्ट्र ज्ञान निगम लिमिटेड के मार्फत कम्प्यूटर प्रशिक्षण देने की योजना मंजूर की है। प्रथम चरण में, १३१ आश्रम शालाओं को सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे २०,४८५ छात्रों और ७०९ शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में शेष १६८ आश्रम शालाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।

२६. मेरी सरकार ने, प्रथम चरण में ६७० कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए, जामखेड़ के व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रोजेक्ट द्वारा संचालित किए जानेवाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ऐसा अनुमान है कि यह प्रशिक्षण, आश्रम शालाओं के मुख्याध्यापकों, अधीक्षकों और शिक्षकों को अभिभावकीय देखभाल के प्रति संवदेनशील बनायेगा और लडकियों की समस्याओं और आश्रमशालाओं के प्रबंध पर विशेष ध्यान देते हुए, उन्हें, निजी स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी स्वच्छता के उपकरणों से सुसज्जित करेगा।

२७. वैश्वीकरण और उदारतावादी नीति के कारण रोजगार के अवसर कम हुए हैं। अतः बेरोजगारी की समस्या तीव्र हो गयी है। इसके समाधान के लिए यह आवश्यक है कि युवावर्ग को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा देकर स्वावलंबी बनाया जाये। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए विशेष घटक योजना के तहत् प्रत्येक प्रभाग में विकसित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इनमें, २० प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रखी जायेंगी। इन संस्थाओं में, मॅकेनिकल, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर हार्डवेअर और डिजिटल फोटोग्राफी जैसे पाठ्यक्रम सिखाये जायेंगे।

२८. भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, सन् २००३-०४ से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए संशोधित छात्रवृत्ति लागू की जाएगी।

२९. राज्य में, बच्चों में होनेवाली कुपोषण और मृत्यु-दर जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करने के लिए **राजमाता जिजाऊ माता और बाल स्वास्थ्य और पोषण मिशन** की स्थापना की जा रही है। अगले पाँच वर्षों में, नवजात शिशु से लेकर ६ वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में होनेवाली तीव्र कुपोषण की घटनाओं को कम करने का प्रस्ताव इस मिशन ने रखा है, इसमें भी, नवजात शिशु से लेकर ३ वर्ष तक के बच्चों में होने वाली कुपोषण की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के साथ-साथ एक साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, यह मिशन, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए समाज की भूमिका पर विशेष जोर देगा और संपूर्ण राज्य में प्रचार मुहिम शुरू करेगा।

३०. मेरी सरकार ने, विस्तारित **अंत्योदय अन्न योजना** के दूसरे चरण में ४.८१ लाख नये लाभार्थियों की पहचान की है। अब, कुल १९.८३ लाख लाभग्राही, २ रुपये प्रति किलो गेहूँ और ३ रुपये प्रति किलो चावल, इस रियायती दर से प्रतिमाह ३५ किलो खाद्यान्न पाने के हकदार होंगे।

३१. सूखे का मुकाबला करने के लिए, रोजगार गारंटी योजना मेरी सरकार की न केवल सबसे सफल योजना साबित हुई है बल्कि इसने, केन्द्र सरकार को देश में इसी तरह का कार्यक्रम शुरू करने की प्रेरणा भी दी है।

३२. रोजगार गारंटी योजना के तहत् सरकार ने, चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर २००४ तक १०७१ करोड़ रूपये खर्च किये हैं और ११ सूखा प्रभावित जिलों में मजदूरों में ५.६६ लाख मैट्रिक टन गेहूँ वितरित किया था।

३३. मेरी सरकार ने, राज्य के ११ अति पिछड़े जिलों में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया है।

३४. राज्य के १५ जनजाति जिलों के लिए, प्रत्येक जनजाति परिवार से कम से कम दो लोगों के लिए पूरे साल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पंचवर्षीय सापेक्ष महत्त्व की योजना तैयार की गई है और उसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इस कदम से न केवल जनजाति क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा और देशान्तरण में कमी आयेगी बल्कि जनजाति क्षेत्रों की कुपोषण की समस्या भी हल हो जायेगी।

३५. राज्य के राजस्व का बहुत बडा हिस्सा विद्यालय शिक्षा पर खर्च किया जाता है। अतः मेरी सरकार इस खर्च की उत्पादकता बढाने पर विशेष जोर दे रही है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और विश्व बैंक द्वारा हाल ही में किये गए अध्ययन से यह पाया गया कि महाराष्ट्र के शिक्षक ज्यादा नियमनिष्ठ हैं और अन्य राज्यों के शिक्षकों की तुलना में विद्यालय में ज्यादा घंटे पढाते हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राज्य के निजी उद्यमों ने कई विद्यालयों को कम्प्यूटर और लेखन-सामग्री मुहैया की है और कार्यशाला, वाद-विवाद, अन्तर-विद्यालय प्रतियोगिता और विज्ञान प्रोजेक्ट के सहारे शिक्षकों को अपनी अध्यापन-क्षमता बढाने में मदद दी है।

३६. मुझे इस बात का गर्व है कि राष्ट्रीय छात्र सेना के महाराष्ट्र दल ने इस वर्ष की गणतन्त्र दिवस परेड में उत्कृष्ट दल का सम्मान प्राप्त कर प्रधानमंत्री का ध्वज जीता है।

३७. राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, मेरी सरकार ने सरकारी और अर्धसरकारी सेवा में 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' संवर्ग की सेवा में सीधे भर्ती से भरे जानेवाले पदों में से ५ प्रतिशत पद श्रेष्ठ खिलाडियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है।

३८. मेरी सरकार, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के हर संभव प्रयास कर रही है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद से मान्यता प्राप्त कुल शैक्षणिक संस्थाओं में से महाराष्ट्र में देश की सर्वाधिक संस्थायें हैं और इनकी संख्या ९९१ पात्र संस्थाओं में से ८४८ हो गई है।

३९. जैव-विविधता के संरक्षण और प्रकृति और आधुनिक विकास के बीच सन्तुलन बनाए रखने के लिए, लोगों के सहयोग से वनों का संरक्षण अनिवार्य है। अतः मेरी सरकार, वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों के फायदे के लिए वन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियाँ करने की अनुमति देने के, भारत सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय का स्वागत करती है।

४०. सरकार ने, चन्दोली-कोयना संरक्षित क्षेत्र को बाघ आरक्षित क्षेत्र और पश्चिमी घाट को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी घाट बेशकीमती जैव-संपदा का खजाना है और मेरी सरकार इसे सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करेगी।

४१. मेरी सरकार ने, १० जनवरी २००५ से एक करोड़ किसानों के लिए, किसान निजी दुर्घटना बीमा योजना प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की है। इस योजना से प्राप्त अनुभवों पर विचार कर, सरकार ने अब, इस योजना को स्थायी रुप से जारी रखने का निश्चय किया है। इस योजना के तहत् मृत किसानों के परिवार को १.०० लाख रूपये और विकलांग हुए किसानों को ५०,००० रुपये से १.०० लाख रुपये तक बीमा की रकम अदा की जायेगी।

४२. नागपुर जिले के पेंच का नवीन मत्स्य महाविद्यालय अगले अकादमिक वर्ष से काम करना शुरू कर देगा। यह, महाराष्ट्र पशु तथा मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय से सहबध्द होगा।

४३. राज्य सरकार, राज्य की सड़कों के मूलभूत सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है। इस वर्ष अब तक, १,७२० किलोमीटर सड़कों का सुधार कार्य और २१८ पुलों का सन्निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

४४. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने अब तक, १५,०६८ करोड़ रूपये की लागतवाले ५३९ विशिष्ट प्रोजेक्टों में से ३,५८३ करोड़ रूपये की लागतवाले १७१ प्रोजेक्ट पूरे कर दिए हैं।

४५. मेरी सरकार ने, राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने को सदैव प्राथमिकता दी है। पुलिस बल के योजनाबद्ध आधुनिकीकरण, पुलिसकर्मियों को विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराने और नक्सलवादियों की कार्यवाहियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु किये गये विशेष प्रयासों से पूरे राज्य में शांति का माहौल बना हुआ है।

४६. मेरी सरकार, राज्य की जरुरत के अनुसार, पुलिस बल को प्रभावकारी बनाने के एक भाग के रुप में, पुलिस कर्मियों की संख्या के साथ-साथ पुलिस थानों की संख्या बढाने पर विचार कर रही है।

४७. पुलिसकर्मियों के लिए आवास के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। चूँकि काम के बोझ के कारण पुलिसकर्मी अपने परिवार के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए सरकार, उनके लिए “ परिवार स्वास्थ्य योजना ” शुरु करने का भी प्रयास कर रही है। मेरी सरकार, पुलिस अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना पर भी विचार कर रही है।

४८. दाण्डिक न्याय प्रणाली में तेजी लाने और पुलिस बल पर पड़नेवाले दबाव को कम करने के लिए, मेरी सरकार ने, शहर के महानगर न्यायालयों के साथ सम्पर्क जोड़ने के लिए, मुम्बई केन्द्रीय कारागृह में पाँच स्थानों पर विडियो कान्फ्रेन्सिंग सुविधा शुरू की है। इसी तरह की सुविधा, अन्य १२ स्थानों पर भी जल्द ही शुरू की जाएगी।

४९. मेरी सरकार के अनवरत प्रयास से, राज्य के सत्र न्यायालयों में मुकदमों की लम्बी कालावधि छोटी हुई है। अब ये न्यायालय, मामला संस्थित होने के एक वर्ष के भीतर, इन मामलों की सुनवाई शुरू कर रहे हैं।

५०. केन्द्र सरकार की मदद से राज्य में स्थापित शीघ्रता से न्याय देनेवाले न्यायालयों ने ३१ दिसम्बर २००४ तक ३२,१२४ सिविल और ५६,२५० आपराधिक मामलों का निपटान कर दिया है।

५१. वरिष्ठ नागरिकों के लिये, सरकार ने स्थायी पेन्शन लोक अदालतें शुरू की हैं। इस योजना को अत्यधिक सफलता मिली है।

५२. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र विधि सहायता सेवा प्राधिकरण के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। इसमें, सन् २००४ से समस्त अधिनियमों और अध्यादेशों को वेबसाईट पर लाना शुरू कर दिया गया है। सरकार ने, राज्य के न्यायालयीन कामकाज को अद्यतन करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी भी शुरू की है।

५३. सरकार, आगामी वित्तीय वर्ष में, न्यायालयों के लिए भवनों के संनिर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है।

५४. राज्य सरकार ने, असंगठित कामगारों के लिए एक राज्य स्तरीय प्राधिकरण और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। राज्य सरकार ने, **जनश्री बीमा योजना** शुरू की है, यह असंगठित कामगारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना अगले वर्ष शुरू हो जायेगी।

५५. मराठी भाषी लोगों की भावनाओं का विचार कर, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी सरकार चिरकाल से लम्बित महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय में दाखिल मामले का पुरजोर अनुवर्तन करेगी।

५६. सम्माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र में आपको, अनुपूरक मांगों, सन् २००५-०६ के बजट, लेखानुदान, अत्यावश्यक स्वरूप के विधेयकों और आपके समक्ष विचारार्थ पेश किये जानेवाले अन्य शासकीय और अशासकीय कारोबार पर विचार-विमर्श करना है। मैं, आपके विचार-विमर्श में सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिन्द ! जय महाराष्ट्र !

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई